Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 24/March/2024 IJRAW: 2024; 3(4):172-173 Accepted: 28/April/2024

साइबर क्राईम की समस्या, समाधान तथा सरकार के प्रयास एक विशेष अध्ययन- अजमेर संभाग

[*1]डॉ. रामस्वरूप साहू और [2]डॉ. विजय बाजिया

[*1]प्राचार्य, राजकीय महाविधालय, कुचामन, म.द.स. विश्वविधालय, अजमेर, राजस्थान, भारत।

[2]सहायक आचार्य, कुचामन सीटी, राजस्थान, भारत।

सारांश

वर्तमान युग आधुनिकता से परिपूर्ण है। वर्तमान समय ने तकनीक की तरफ सारी दुनिया का ध्यान खींचा है। पैसो के लेन-देन जो अधिकतर परस्पर मिलकर होते थे या डाक तथा ड्राफ्ट के माध्यम से होते थे वो अब ऑनलाइन माध्यम में होने लगे है। वर्तमान में डिजिटल वर्ल्ड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। ईमित्र, मोबाइल एप के माध्यम से सारी लेन-देन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा ने एक नई क्रांति को तो उत्पन्न किया ही है लेकिन कई साइबर समस्याओ ने भी अपने पर फैलाये है बैंक डिटेल को चोरी करके तथा आधार से otp जनरेट करके हैकर अपने काम को अंजाम देते तथा सामान्य लोग ठगी के शिकार हो जाते है।

मुख्य शब्द: आई.टी. एक्ट, साइबर सिक्युरिटी, साइबर स्टाकिंग, टाइपो स्क्वाटिंग, फिशिंग, स्पूफिंग।

प्रस्तावना

वर्तमान युग भले ही तेजी से आधुनिकता की तरफ अग्रसर है लेकिन वतर्मान में इस आधुनिकता ने साइबर ठगी जैसे अपराधो को भी बढाया है। साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। साइबर अपराध कंप्यूटर व इन्टरनेट के माध्यम से होता है इसलिए इसे इलेक्ट्रानिक क्राइम के रूप में जाना जाता है। साइबर ठग जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कम्प्यूटर से व्यक्तिगत डाटा हैक करना, फिशिग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टाकिंग, वायरस प्रसार जैसे अपराध करता है।

शोध उद्देश्य

i). शोध का प्रमुख उद्देश्य साइबर क्राइम की जानकारी नए तथ्यों के आधार पर उपलब्ध करना है।
ii). वर्तमान में हो रहे साइबर क्राइम के प्रकार के बारे में जानना।
iii). साइबर क्राइम के पीडितो का सर्वे करना।
iv). अजमेर में साइबर क्राइम के प्रभाव को जानना।
v). सरकार का रुख क्या है साइबर क्राईम के प्रति तथा उनकी योजनाओं को जानना।
vi). साइबर अपराध से लोगो को अवगत करवाना।

साइबर अपराध का श्रेणी विभाजन

साइबर अपराध को व्यक्तिगत घटना, अधिकार संपत्ति के विरुद्ध घटना तथा सरकार के विरुद्ध अपराध के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है-

- कुछ अपराध ऐसे होते है जो संपत्ति के विरुद्ध होते है। इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी कम्प्यूटर सर्वर का उपयोग करते हैं। इन घटनाओ के अंतर्गत साइबर और टाइपो स्क्वाटिंग, कॉपीराईट उल्लंघन, आईपीआर उल्लंघन, हैकिंग, वायरस स्थानान्तरण आदि घटनाएं सम्मिलित है। इन घटना के अंतर्गत आपको अंजान व्यक्ति द्वारा एक वेब लींक भेजा जाता है, जिसमे वों आपसे आपके खाते सम्बंधित बेसिक जानकारी तथा otp मांगता है या फिर आपके फोन को हैक कर सकता है। इसके आधार पर अपराधी आपके खाते तथा अकाउंट से छेड़छाड़ करता है।
- व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध की घटना होना सामान्य सी बात हो गयी है। अमूमन ऐसे अपराध ऑनलाइन माध्यम से किये जाते है। इन अपराधो के अंतर्गत साइबर स्टाकिंग, चाइल्ड व एडल्ट पोर्नोग्राफी वितरण, मानव तस्करी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन बदनामी, आदि सम्मिलित है।
- सरकार के विरुद्ध साइबर अपराध एक गंभीर समस्या माना जाता है। सरकार के खिलाफ किये गए ऐसे अपराध साइबर आतंकवाद के अंतर्गत आते है। अपराधी सरकार के सिस्टम या उनके एप को हैक करने का प्रयास करता है। जब सरकार पर ऐसा हमला होता है तो इसे राष्ट्र संप्रभुता पर हमला एवं युद्ध की

***Corresponding Author:** डॉ. रामस्वरूप साहू

करवाई माना जाता है जो अक्सर दुसरे देश के दुश्मन की साजिश भी हो सकती है।

- साइबर क्राइम में अपराध का वर्गीकरण
- विशेषज्ञों के अनुसार साइबर क्राईम के अपराध को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है-
- हैकिंग या वायरस अटैक-इसके अंतर्गत किसी कंप्यूटर या मोबाईल पर वायरस का हमला किया जाता है या फिर आपकी डिवाइस को हैक कर लिया जाता है।
- कम्प्यूटर का हथियार के रूप में प्रयोग-किसी घटना में कंप्यूटर को हथियार के रूप में प्रयोग लिया जाता है जैसे-साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट धोखाधडी व पोर्नोग्राफी आदि।

साइबर अपराध में सोशल मिडिया का प्रभाव

लोगो द्वारा बड़े पैमाने पर सोशल मिडिया का प्रयोग किया जाता है लेकिन वों साइबर अपराध से अनजान है। कई बार दुसरे देश के सर्वर हमारे यहाँ की सोशल साईट से जुड़े ररहते है जिस कारण हमारे यहाँ की जानकार दुसरे देश की ख़ुफ़िया एजेंसी तक जाने का भय रहता है। हैकर्स आसानी से लोगो को सोशल मिडिया के माध्यम से अपना शिकार बना लेते है। आजकल विभिन्न गेमो के माध्यम से भी बच्चो को हैकर्स आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर लेते है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट अजमेर

हमारे द्वारा 200 से अधिक लोगो पर हुयी घटनाओं का सर्वे किया गया जिसमे कुछ सामान्य लोगो पर हुए साइबर अपराध की घटनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है-

तालिका 1: साइबर अपराध की घटनाओं का विवरण

क्रम संख्या	साइबर ठगी का शिकार व्यक्ति की सामान्य जानकारी	ठगी का प्रकार	नुक्सान
1.	जीतू रेगर, किशनगढ़, मोटर मेकेनिक, अनपढ़	एटीएम हैक, संदेह बैंक पर, बैंक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं	6000 रु/-
2.	संतोष काठात, नसीराबाद, कपडे की दूकान, अनपढ़	एटीएम हैक, एटीएम हैक, संदेह बैंक पर, बैंक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं	1500 रु/-
3.	पूजा भोपारिया, किशनगढ़, हाउस वाइफ, पोस्ट ग्रेजुएट	एआई वोईस से फेमिली मेंबर बनकर otp माँगा, कोइ कार्यवाही नहीं	2000 रु/-
4.	मार्को एंथम, क्रिश्चन, अजमेर,	व्हाट्स के माध्यम से ब्लेकमेलिंग	
5.	सुनिल शर्मा, मेडिकल डिपार्टमेंट, अजमेर	फोन पे हेक, कार्यवाही जारी	20000 रु/-
6.	रवि बर्मा, कारीगर, कुचामन	व्हाट्स अप हैक, 2 दिन बाद पुनः सही हो गया	

साइबर अपराध के प्रति सरकार का रुख

साइबर क्राईम को रोकंने के लिए सरकार ने कई प्रयास किये जो निम्न प्रकार से-

- 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता' परियोजना को शुरू किया गया विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा हेतु मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गयी अंतर एजेंसी समन्वय के लिये।
- सरकार द्वारा 'कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम की स्थापना की गयी जो राष्ट्रीय स्तर की कम्पूटर मोडल एजेंसी है।
- साइबर अपराधो से निपटने के लिए सरकार ने 'सुचना प्रौधोगिकी अधिनयम' 2000 पारित किया गया।
- सरकार द्वारा 'साइबर सुरक्षा निति, 2013' जारी की गयी। इसके अंतर्गत अति संवेदनशील सूचनाओ के संरक्षण के लिए 'राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सुचना अवसंरचना संरक्षण' केंद्र का गठन किया गया।
- भारत सुचना साझा करने एवं साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देशो से समन्वय स्थापित कर रहा है।

भारत में होने वाले साइबर अपराधो पर प्रमुख धाराये-

i). कम्प्यूटर स्त्रोत के साथ छेडछाड-धारा 65 (आई.टी.अधिनियम)
ii). कम्प्यूटर सिस्टम, डेटा परिवर्तन के साथ हैकिंग-धारा 66 (आई.टी. अधिनियम)
iii). अश्लील जानकारी प्रकाशित करना-धारा 67 (आई.टी. अधिनियम)
iv). संरक्षित प्रणाली तक गैर अधिकृत पहुँच-धारा 70 (आई.टी.अधिनियम)
v). गोपनीयता और निजता का उल्लंघन-धारा 72 (आई.टी.अधिनियम)
vi). झूटे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्रकाशित करना-धारा 73 (आई.टी.अधिनियम)
vii). ईमेल द्वारा धमकी सन्देश भेजना-धारा 503 (आई.पी.सी)
viii). ईमेल द्वारा मान हानि सन्देश भेजना-धारा 499 (आई.पी.सी)
ix). इलेक्ट्रानिक रिकोर्ड की साझेदारी-धारा 463 (आई.पी.सी)
x). फर्जी वेबसाईट, साइबर धोखाधड़ी-धारा 420 (आई.पी.सी)
xi). ईमेल स्पूफिंग, धारा 463 (आई.पी.सी)
xii). वेब-जैकिंग-धारा 383 (आई.पी.सी)
xiii). ई-मेल दुरुपयोग-धारा 500 (आई.पी.सी)

परिणाम

साइबर क्राइम की घटनाओं में तो बढ़ोतरी हो रही है कई घटनाओं में तो अपराधी उच्च स्तर का प्रोग्राम उपयोग में लेता है जिस से उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। कई बार पुलिस एवं साइबर डिपार्टमेंट अपना काम सही से नहीं करता इस कारण पीड़ित को मज़बूरी में अपराध को सहन करना पड़ता है। पुलिस सही से बात भी नहीं करती पीडित से तथा जब पुलिस पर दबाव होता है बड़े व्यापारी या लोगो द्वारा तब वे अपना काम करते है। देश से बाहर के ठग को पकडना मुश्किल होता है। सरकार अपना काम सही से कर रही है लेकिन पुलिस को तथा साइबर क्राइम के खिलाफ काम करने वाली संस्था को भी अपना काम सही से करना चाहिये न की बोझ मानकर या खबर छपवाकर केस रफा दफा करना चाहिये। छोटी-छोटी घटनाओं को सही से सोव करने पर ही हम साइबर क्राइम की बड़ी घटना को बढ़ने से रोक सकते है। आवश्यक हैं की हम अपने आपको सावधानी रखते हुए इन हैकर्स के शिकार न बने।

संदर्भ

1. तेलंग, आशीष-'साइबर अपराध का एक परिचय', बुकलेट, SSE (टेलिकॉम),केमेच इंडियन रेलवे, ग्वालियर, नवम्बर 2022
2. गृह मंत्रालय-'भारत सरकार, साइबर सुरक्षा पर किशोरों/छात्रो के लिए पुस्तिका', गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
3. National Cyber Crime Reporting Portal-www.cybercrime.gov.in
4. 'Cases of Cyber Frauds', Ministry of Home Afairs, 6 Feb 2022 www.pib.gov.in
5. Jain Neelesh-'Cyber Crime changing everything-An Empirical study' research paper March 2014
6. Kaur, Anupreet-'A Study on Awareness of Cyber Crime and Security', Research paper, 2017